झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 30 / 2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019, झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 एवं झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, आदि परिषद् के बेवसाईट www.jac.jharkhand.gov.in/jac पर उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23.07.2024 से 22.08.2024 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

1. वांछित अर्हत्ता एवं योग्यता –

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो।

(ग) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ :

(i) प्राथमिक कक्षा (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 06 से 08) के शिक्षकों के लिए :–

परिषद् के वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 04.10.2019 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019), 253 दिनांक 18.02.2022 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022) एवं 783 दिनांक 15.06.2024 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024) में निर्धारित वांछित योग्यता एवं अर्हता के अनुरुप।

(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति / पिछड़ा वर्ग–1 / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रुप से कमजोर जनजातीय समूह (PVGT) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6(ग)(i), 6(ग)(ii), 6(ग)(iv) एवं 6(ग)(v) में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा।

परन्तु निर्धारित / विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा।

(iv) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अहर्त्ता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा।

(v) झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का निर्धारण अधिसूचना संख्या 783 दिनांक 15.06.2024 (झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024) के नियम 17 के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे और उनका अभ्यर्थित्व (Candidature) रद्द माना जायेगा।

2. शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा–

(क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं।

(i) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level–1

(ii) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर – Level–2

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा, जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत् होगी :–

(i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – 02 घंटा 30 मिनट।

(ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – 02 घंटा 30 मिनट।

(iii) दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए – तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

(ग) परिषद् के अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जाँच परीक्षा के स्वरुप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षाएँ आयोजित की जाएगी।

(घ) प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न एन0सी0ई0आर0टी0 / सी0बी0एस0ई0 एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 / उच्चतर माध्यमिक या सकमक्ष होगा।

(ङ) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त 'State University' के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाईयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

(च) शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा–II में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–1428 दिनांक 10.03.2023 (प्राथमिक कक्षा (कक्षा 01 से 05) के लिए) एवं अधिसूचना संख्या– 1427 दिनांक 10.03.2023 (उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा 06 से 08) के लिए) में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

(छ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु निम्नवत् प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा :–

क्र0	वर्ग	प्रत्येक खण्ड के न्यूनतम प्राप्तांक (%)	कुल प्राप्तांक न्यूनतम (%)
I	सामान्य जाति	40	60
II	अनुसूचित जाति	30	50
III	अनुसूचित जनजाति	30	50
IV	आदिम जनजाति	30	50
V	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	35	55
VI	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	35	55
VII	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)	35	55
VIII	दिव्यांग	30	50

(ज) परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। जिसका उत्तर OMR Sheet में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी। परीक्षा के दौरान OMR Sheet पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। OMR से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(झ) OMR में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा।

(ञ) परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त OMR का पुनर्मूल्यांकन / पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

3. परीक्षा शुल्क :–

क्र0	वर्ग	प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) के लिए (रुपये में)	उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) के लिए (रुपये में)	प्राथमिक स्तर (कक्षा 01 से 05) एवं उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 06 से 08) दोनों के लिए (रुपये में)
I	सामान्य जाति	1,300 / –	1,300 / –	1,500 / –
II	अनुसूचित जाति	700 / –	700 / –	800 / –
III	अनुसूचित जनजाति	700 / –	700 / –	800 / –
IV	आदिम जनजाति	500 / –	500 / –	600 / –
V	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	1,300 / –	1,300 / –	1,500 / –
VI	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)	1,300 / –	1,300 / –	1,500 / –
VII	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS)	1,300 / –	1,300 / –	1,500 / –
VIII	दिव्यांग	700 / –	700 / –	800 / –

*** शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। (Fee not refundable)**

4. अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सही–सही एवं त्रुटिरहित करेंगे। आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षाफल का प्रकाशन एवं प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। ऑनलाइन भरे गये प्रविष्टियों में बाद में या परीक्षाफल प्रकाशन के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सभी प्रविष्टियाँ ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र ही स्वीकार किए जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

5. प्रवेश पत्र बेवसाईट से डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।

6. आवेदन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं की सत्यता की जाँच नियुक्ति के समय की जायेगी। यदि उक्त क्रम में कोई भी सूचना भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या असत्य पाया जायेगा तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उनका अभ्यर्थित्व परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद भी स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं इसकी सम्पूर्ण जबावदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

7. कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा।

8. सफल उम्मीदवारों के प्रमाण–पत्र की वैधता उनके शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक उपाधियों एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणिकता / सत्यता के फलाफल पर निर्भर / प्रभावित करेगा।

9. शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक / अनुदेशक पद पर नियुक्ति का दावा / अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र एक अहर्त्ता जाँच परीक्षा है।

10. कृपया परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध सभी संबंधित नियमावलियों, सूचनाओं, निदेश, परिपत्र, आदेश, आदि को सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेंगे।

नोट :– विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,
सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/JTET/2406/SECY/827/24
Dt: 18.07.2024
DOP-20.07.24